

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *276

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कर्नाटक में स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण का दूसरा चरण

†*276. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर दक्षिण कन्नड़ जिले सहित कर्नाटक में स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (एसबीएम-जी) के दूसरे चरण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा कितनी ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है;

(ख) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के शुभारंभ के बाद से विशेषकर उक्त जिले सहित कर्नाटक में विगत वर्ष तथा कुल मिलाकर अब तक कितने घरेलू और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है;

(ग) इस मिशन के तहत समर्थित ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना के घटक क्या हैं और इस जिले में इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस जिले में इस मिशन के तहत कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है; और

(ङ) दक्षिण कन्नड़ जिले में तृतीय पक्ष द्वारा परिणामों के सत्यापन, निरंतर सामुदायिक सहभागिता और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ समावेश के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

कर्नाटक में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण का दूसरा चरण के संबंध में कैप्टन बृजेश चौटा द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *276 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम-जी] की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) के अनुसार, 04.08.2025 तक, कर्नाटक में कुल 26,484 गांवों में से 26,402 गांवों (उदीयमान-18,318, उज्ज्वल-271, उत्कृष्ट-7,813) को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस घोषित किया गया है। राज्य में 26,404 गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) व्यवस्था से परिपूर्ण हैं और 8,516 गांवों में ग्रेवाटर प्रबंधन (जीडब्ल्यूएम) व्यवस्था है।

आईएमआईएस के अनुसार, 04.08.2025 तक, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के कुल 354 गांवों में से, सभी 354 गांवों (उदीयमान -18, उज्ज्वल -17, उत्कृष्ट -319) को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस घोषित किया गया है। जिले के 354 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था है और 337 गांवों में ग्रेवाटर प्रबंधन व्यवस्था है।

(ख) एसबीएम (जी) के आईएमआईएस के अनुसार कर्नाटक और दक्षिण कन्नड़ जिले में निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) की पिछले वर्ष के दौरान संख्या और एसबीएम-जी के शुभारंभ के बाद से इनकी संचयी संख्या निम्नानुसार है: -

कर्नाटक राज्य में संचयी और 2024-25 के दौरान प्रगति

	संचयी - 4.8.2025 तक	2024-2025 के दौरान
निर्मित आईएचएचएल की संख्या	50,53,957	1,18,077
निर्मित सीएससी की संख्या	2,851	171

दक्षिण कन्नड़ जिले में संचयी और 2024-25 के दौरान प्रगति

	संचयी - 4.8.2025 तक	2024-2025 के दौरान
निर्मित आईएचएचएल की संख्या	8,476	36
निर्मित सीएससी की संख्या	196	1

(ग) एसबीएम (जी) चरण- II के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए परिकल्पित प्रमुख हस्तक्षेप निम्नानुसार हैं -

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:

- कम्पोस्टिंग या बायो-गैस संयंत्रों के माध्यम से जैविक कचरे का प्रबंधन (**गोबर-धन परियोजनाएं**)
- गैर-बायोडिग्रेडेबल (प्लास्टिक) कचरे के संग्रहण/भंडारण और सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा का प्रावधान

तरल अपशिष्ट प्रबंधन: -

- जहां संभव हो, वहाँ सोख गड्ढों / लीच गड्ढों के माध्यम से या अन्य प्रौद्योगिकियों जैसे कि अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाबों, निर्मित आर्द्रभूमि, आदि के माध्यम से जहां अपेक्षित और व्यवहार्य हो, ग्रेवाटर का प्रबंधन।
- जहां कहीं आवश्यक हो, निकटवर्ती शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा एसटीपी सुविधाओं में सह-शोधन के माध्यम से अथवा आवश्यकतानुसार ट्रेचिंग अथवा एफएसएम संयंत्र की स्थापना के माध्यम से मलीय गाद प्रबंधन (एफएसएम)।

दक्षिण कन्नड़ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटकों की प्रगति -

घटक	इकाइयों की संख्या
पृथक्करण शेड	256
कचरा संग्रहण वाहन	197
सामुदायिक खाद के गड्ढे	251
गोबरधन	3
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयाँ (पीडब्ल्यूएमयू)	4

दक्षिण कन्नड़ में तरल अपशिष्ट प्रबंधन घटकों की प्रगति -

जिले में रसोई उद्यान, व्यक्तिगत और सामुदायिक सोख गड्ढों के माध्यम से **ग्रेवाटर प्रबंधन** किया जाता है और इसके घटकों का विवरण नीचे दिया गया है:

घटक	इकाइयों की संख्या
व्यक्तिगत सोख गड्ढा	15,388
रसोई उद्यान	2,71,444
सामुदायिक सोख गड्ढा	938

मलीय गाद शोधन संयंत्र (एफएसटीपी) के माध्यम से मलीय गाद प्रबंधन किया जा रहा है। जिले में, **2 एफएसटीपी** हैं जिनका कार्य पूरा हो गया है और **8 एफएसटीपी** का कार्य प्रगति पर है।

(घ) एसबीएम (ग्रामीण) के तहत, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। तत्पश्चात् राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिलों को निधियां जारी करते हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों में दक्षिण कन्नड़ जिले को आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि निम्नानुसार है: -

रुपए लाख में

वर्ष	आवंटित की गई धनराशि	जारी की गई धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
2022-2023	830.51	830.51	830.51
2023-2024	316.23	316.23	316.23
2024-2025	153.68	153.68	153.68

(ङ) कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, तृतीय पक्ष सत्यापन के लिए किए गए उपायों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- एसबीएम (जी) के दिशानिर्देशों के अनुसार ओडीएफ प्लस मॉडल गांवों का मूल्यांकन करने के लिए दक्षिण कन्नड़ जिले में एक अंतर-तालुक सत्यापन टीम का गठन किया गया है
- सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां (वीडब्ल्यूएससी) स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) संजीवनी महिला स्वयं-सहायता समूहों को एसबीएम (जी) कार्यकलापों को लागू करने में स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सहायता से ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन कार्य में शामिल किया गया है।

दक्षिण कन्नड़ जिले में एसबीएम (जी) कार्यकलापों के कार्यान्वयन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 14वें और 15वें वित्त आयोग के अनुदान, ग्राम पंचायत के स्वयं के स्रोत राजस्व, जिला और तालुक पंचायत विकास निधि, जिला खनिज निधि और निजी संस्थाओं से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अंशदान के सामंजस्य में प्रभावी ढंग से सहायता की गई है।
